

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 308] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30, 1972/पोष 9, 1894

No. 308] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 1972/PAUSA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 30th December 1972

G.S.R. 499(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 2-Customs, dated the 16th January, 1971, namely:—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and word "31st December, 1972", the figures, letters and word "31st December, 1973" shall be substituted.

[No. 139/F. No. 355/81/72-Cus.I.]

S. NARAYANAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नयी दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1972

सा० का० नि० 199(ग्र).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हाँ जाने पर कि ऐसा करना लाजिम्ह में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना 2 सीमाशुल्क, तारीख 16 जनवरी 1971 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में “31 दिसम्बर, 1972” “अंकों और शब्द के लिए” “31 दिसम्बर, 1973” के अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

[सं० 139/फा० सं० 355/81/72-सी० शु० 1]

एस० नारायणन, उप सचिव ।